न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री दीपेन्द्रसिंह राठौर आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या : 2/2014 राजस्व वाद

दायर दिनांक–28/3/2014
निर्णय दिनांक– 17/2/2016

1–श्रीमती नाथी पिता भेमा बामणीया मीणा निवासी चितरी
2– श्री लालशंकर पिता हकरिया बामणीया मीणा निवासी चितरी
3– श्री गोवर्धन पिता हकरिया बामणीया मीणा निवासी चितरी
4– श्री राजू पिता हकरिया बामणिया मीणा निवासी चितरी

(वादीगण)

बनाम

1– श्रीमती भीखबाई पत्नि दला ननोमा मीणा निवासी चितरी फला पाडा
2– श्री मोहन पिता दला ननोमा मीणा निवासी चितरी फला पाडा
3– श्री अशोक पिता दला ननोमा मीणा निवासी चितरी फला पाडा
4– श्री कुरिया पिता बादल ननोमा मीणा निवासी चितरी फला पाडा
5– श्री मगनलाल पिता डूँगर चमार निवासी चितरी
6– श्री रामजी पिता मावजी पाटीदार निवासी चितरी
7– श्री कमलजी पिता थोबजी पाटीदार निवासी चितरी
8– राज्य सरकार भूगिधारी जरिये तहसीलदार गलियाकोट

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण – श्री मयंक दोसी, श्री नारायणलाल दोसी
वकील प्रतिवादीगण – श्री कपील भट्ट, कल्पेश रावल

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 सपठित धारा –209 राज0 टि0एक्ट

निर्णय

वाद वादीगण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1से 7 गॉव चितरी के रहने वाले है। वादीगण के स्वामित्व व कब्जेदारी के मौजा चीतरी के वर्तमान खाता संख्या 547/424 के कुल 7 खेत जिनका योग क्षेत्रफल 6बीघा 14 बिस्वा जिसका विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित है , स्थित है ।खसरा नम्बर 929 की रकबा 16 बिस्वा जमीन मौजा वरसिंगपुर में स्थित है । उपरोक्त खाता संख्या 547/424 की भूमि वादीगण के स्वामित्व एंव कब्जेदारी की होकर इस पर वादीगण का ही कब्जा है । प्रतिवादी संख्या 1 से 7 जबरन वादीगण के स्वामित्व व कब्जेदारी की उक्त सम्पूर्ण भूमि हडपना चाहते ह एंव आये दिन काश्त में रूकावट करते हैं । यह कि वादीगण की उक्त जमीन पर

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण को नाजायज तरीके से कब्जा करने व वादीगण की काश्त में रूकावट करने का कोई हक नहीं है । प्रतिवादीगण 1 सक 7 जबरन वादी की उक्त जमीन हडप लेना चाहते हैं जिससे उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है कि वे वादीगण के स्वामित्व की उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करे न ही वादीगण के उपयोग उपभोग में रूकावट करें ।

वादीगण ने वाद में यह भी बताया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 की नियत जमीन की कीमतें बढने से खराब हो गई है एवं वे जबरन वादीगण को उनकी जमीन से महरूम करना चाहते हैं ।

वादीगण ने वाद के अन्त में मौजा चितरी के वर्तमान खाता संख्या 547/424 की वाद पत्र की कलम संख्या 2 में बताई गई आराजियात रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा जमीन पर वादीगण के कब्जे में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नहीं करे व वादीगण के उक्त आराजी के उपयोग में रूकावट नहीं करें न ही वादीगण की उक्त आराजी पर किसी प्रकार से अतिक्रमण करने का प्रयास करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी करने निवेदन करते हुए दोराने दावा यदि प्रतिवादीगण के द्धारा जबरन वादीगण को उक्त आराजीयात या इसके किसी भाग पर से बेदखल कर दिया जावे एवं जबरन वादीगण की जमीन पर कोई निर्माण कार्य कर लिया जावे तो प्रतिवादीगण के निर्माण कार्य को तुडवाकर उन्हें बेदखल कर वादीगण को पुनः उक्त आरजी का कब्जा दिलाया जाने ,प्रतिवादीगण अपने किसी ऐजेण्ट,रिश्तेदार ,मजदूर आदि के माध्यम से भी वादीगण को उक्त आकराजी पर से बेदख्ाल या इस पर अतिक्रमण कर निर्माण करने का प्रयास नही करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के लिए निवेदन किया गया है ।

वादीगण की ओर से वाद के साथ वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए जमाबन्दी खाता संख्या 613/526 मोजा गडाजसराजपुर , नक्शा ट्रैस, गिरदावरी संवत 2070,जमाबन्दी खाता संख्या 95/95 ,खतोनी 190/190भूप्रबन्ध विभाग संवत 2020,2029 की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए ।

प्रतिवादीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित होने से दिनांक 1/4/15 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई । वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी के दोरान गवाह श्रीमती नाथी पिता भेमा बामणिया जो कि वाद में वादी संख्या 1 है ,के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया । बयान शपथ पत्र में गवाह पीडब्लू 1 श्रीमती नाथी ने वाद विवरण के तथ्यों को दोहराते हुए मोजा चितरी के खाता संख्या 547/424जिसके आराजीयात एंव क्षेत्रफल का उल्लेख वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित है ,वादीगण के स्वामित्व एंव कब्जेदारी की होना , प्रतिवादीगण जबरन हडपने का प्रयास करना बताते हुए

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी संवत 2066–69 EX-1, गिरदावरी EX-2,नक्शा ट्रैस EX-3 प्रदर्श कराये ।

वादीगण की ओर से ओर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्य वादीगण समाप्त की जाकर वकील वादी की एक पक्षीय बहस समायत की गई ।

विद्वान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वादीगण के वाद तथ्यों का दोहरान करते हुए हमारा ध्यान जमाबन्दी संवत 2066–69 EX-1 की ओर आकर्षित कर वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार दर्ज होकर वादी संख्या 1 श्रीमती नाथी का 1/2 हिस्सा एंव शेष वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड होना , प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के स्वामित्व एंव कब्जेदारी की आराजीयात पर जबरन अतिक्रमण का प्रयास करना बताते हुए वादीगण के कब्जे में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नहीं करे व वादीगण के उक्त आराजी के उपयोग में रूकावट नहीं करें न ही वादीगण की उक्त आराजी पर किसी प्रकार से अतिक्रमण करने का प्रयास करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी करने निवेदन करते हुए दोराने दावा यदि प्रतिवादीगण के द्वारा जबरन वादीगण को उक्त आराजीयात या इसके किसी भाग पर से बेदखल कर दिया जावे एवं जबरन वादीगण की जमीन पर कोई निर्माण कार्य कर लिया जावे तो प्रतिवादीगण के निर्माण कार्य को तुडवाकर उन्हें बेदखल कर वादीगण को पुनः उक्त आरजी का कब्जा दिलाया जाने ,प्रतिवादीगण अपने किसी ऐजेण्ट,रिश्तेदार ,मजदूर आदि के माध्यम से भी वादीगण को उक्त आकराजी पर से बेदखाल या इस पर अतिक्रमण कर निर्माण करने का प्रयास नही करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के लिए निवेदन किया गया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक वादीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया ।

वादीगण द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2066–69 EX-1 के अनुसार वादीगण विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है । दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद सूचना के उपस्थित होकर कोई जवाब अथवा वादीगण के वाद तथ्यों के विरूद्ध कोई साक्ष्य आदि भी प्रस्तुत नही किया गया है । जिससे वादीगण के वाद की पुष्टि होने से वाद वादीगण स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के स्वामित्व एंव कब्जेदारी की भूमि मौजा चितरी के वर्तमान खाता संख्या 547/424 की आराजी नम्बर 1260 रकबा 17बिस्वा, 1261 रकबा 1बीघा 3 बिस्वा , 4384 रकबा 1 बीघा ,4385 रकबा 5 बिस्वा ,4386 रकबा 7 बिस्वा ,4388 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एवं 4389/2 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता खेत 7 रकबा कुल 6 बीघा 14 बिस्वा बिस्वा जमीन पर वादीगण के कब्जे में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नहीं करे व वादीगण के उक्त आराजी के उपयोग में रूकावट नहीं करें न ही वादीगण की उक्त

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

आराजी पर किसी प्रकार से अतिकमण करने का प्रयास करे तथा अपने किसी एजेण्ट , रिश्तेदार ,मजदूर आदि के माध्यम से भी वादीगण को उक्त आराजी पर से बेदखल करने ,अतिकमण कर निर्माण करने का प्रयास नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 17/2/2016 को सरे ईजलास सुनाया गया । डिकी पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो , नम्बर से कम हो ।

(दीपेन्द्रसिंह राठौर)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner